

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1655

सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक)

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल सेवाओं और बी.पी.ओ.
कार्मिकों की नौकरियों का चला जाना

1655. श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रोबोट स्वचालन प्रक्रिया (आरपीए) के कारण सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई कम कुशल सेवाओं और बीपीओ कार्मिकों की नौकरियां चली गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) सरकार द्वारा मौजूदा कार्मिकों की नौकरियों को बचाने और नौकरी गंवाने वाले लोगों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के रोजगार का संकेत देने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 के दौरान 46.8% से उल्लेखनीय ढंग से बढ़कर वर्ष 2021-22 के दौरान 52.9% हो गया है।

इसके साथ-साथ, श्रम ब्यूरो द्वारा, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्रमिक तिमाहियों में, भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था के चयनित नौ क्षेत्रों के संबंध में रोजगार की स्थिति का आकलन करना है। चयनित नौ क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और वित्तीय सेवाएं हैं। क्यूईएस के चौथे दौर (जनवरी-मार्च, 2022) के अनुसार, नौ चयनित क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार 3.18 करोड़ थे, जो क्यूईएस के पहले दौर (अप्रैल-जून, 2021) के अनुमानित रोजगार (3.08 करोड़) से 10 लाख अधिक है।

क्यूईएस के चौथे दौर के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्र में अनुमानित रोजगार क्यूईएस के पहले दौर के दौरान 20.71 लाख की तुलना में बढ़कर 38.31 लाख हो गया है, जो आईटी / बीपीओ सेक्टर में रोजगार में वृद्धि का संकेत देता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था, निवेश और नौकरियों के विकास के लिए सरकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को गतिशील प्रवर्तक मानती है। सरकार ने एआई अवसरों को युवाओं से जोड़ने के लिए, देश में विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना, भविष्य कौशल प्राइम, युवा कार्यक्रम के लिए एआई, इंटर-डिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन (एनएम-आईसीपीएस) आदि।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों पर केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 02.07.2023 तक, इस योजना के तहत 60.42 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 14 जुलाई, 2023 तक, 50.18 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 07.07.2023 तक इस योजना के तहत 42.29 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगे।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें, रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही हैं।
